भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2406

जिसका उत्तर 18 दिसम्बर, 2023/27 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया गया

पंजाब में मुद्रा योजना

2406. श्री सुशील कुमार रिंकू:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'मुद्रा' योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब में मुद्रा योजना के तहत स्वीकृत, आवंटित और उपयोग किए गए धन का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब में उक्त योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य और लाभान्वित हुए लोगों की संख्या और सम्पूर्ण देश में उक्त की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बैंकों द्वारा जरूरतमंद लोगों को उचित सहायता न देने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क): प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत सदस्य उधारदात्री संस्थाओं (एमएलआई) अर्थात् अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) द्वारा 10 लाख रुपये तक का संपार्श्विक मुक्त संस्थागत ऋण प्रदान किया जाता है। कोई भी व्यक्ति, जो ऋण लेने के लिए अन्यथा पात्र हो और जिसके पास लघु व्यवसायिक उद्यम के लिए व्यवसाय योजना हो, इस योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर सकता है। ऋण, विनिर्माण, व्यवसाय, सेवा क्षेत्र में आय सृजन संबंधी कार्य-कलापों और कृषि से सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए तीन श्रेणियों अर्थात् शिशु (50,000 रुपए तक के ऋण), किशोर (50,000 रुपए से अधिक और 5 लाख रुपए तक के ऋण) और तरुण (5 लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए तक के ऋण) के अंतर्गत लिया जा सकता है।

(ख) और (ग): सरकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत सदस्य उधारदात्री संस्थाओं (एमएलआई) के लिए वार्षिक लक्ष्य आवंटित करती है। परिणामस्वरूप एमएलआई क्षेत्र की क्षमता, अपनी उपस्थिति और अन्य संबंधित मापदंडों के अनुसार संबंधित राज्य-वार अपने लक्ष्यों को निर्धारित करती है। कोविड -19 महामारी के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 को छोड़कर योजना के अंतर्गत योजना के आरंभ से लेकर अभी तक राष्ट्रीय स्तर के लक्ष्यों को निरंतर पूरा किया गया है।

एमएलआई द्वारा मुद्रा पोर्टल पर अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्ष में (दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2023 तक) देश में पीएमएमवाई के अंतर्गत 26.12 लाख करोड़ रुपए की राशि के 44.46 करोड़ से अधिक ऋण

प्रदान किए गए हैं। जिनमें से पंजाब राज्य में 26,648 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि और 25,757 करोड़ रुपए की संवितरित राशि के 34.63 लाख ऋण प्रदान किए गए हैं।

(घ) और (ङ): पीएमएमवाई के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों का समाधान संबंधित बैंकों के परामर्श से किया जाता है। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली(सीपीजीआरएएमएस) पर प्राप्त शिकायतों का भी समाधान निर्धारित समय-सीमा के भीतर करने के लिए इन्हें संबंधित बैंकों के साथ उठाया जाता है।

******